

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18022026-270256
SG-DL-E-18022026-270256

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | | |
|---------|--|------------------------|
| सं. 48] | दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2026/माघ 21, 1947 | [रा.रा.क्ष.दि. सं. 463 |
| No. 48] | DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2026/MAGHA 21, 1947 | [N. C. T. D. No. 463 |

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 फरवरी, 2026

संख्या एक 1(74)/जीए/डीसी/मुख्यालय /2020/243. —राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (अधिनियम संख्या XVII 1887) की धारा 27 की उप धारा (1) केखंड (बी) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा श्री मयंक यादव, तहसीलदार, दिल्ली विकास प्राधिकरण को जब तक वे इस पद पर बने रहते हैं अथवा अग्रिम आदेश तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत सहायक कलेक्टर, द्वितीय श्रेणी की शक्तिया प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राकेश कुमार, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट-I (मुख्यालय)

REVENUE DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 10th February, 2026

No. F. 1(74)/GA/DC/HQ/2020/243.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Act No. XVII of 1887), as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer the powers of Assistant Collector (Grade-II) upon Sh. Mayank Yadav, Tehsildar, DDA, under the said act so long as he holds the post or till further orders whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAKESH KUMAR, Addl. District Magistrate-I (HQ)